आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(15) लेखा/आकाशि/का.बा.स्कू./पत्र व्य./2021—22/1519 दिनांक—16.03.2022

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः— कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सत्र 2020—21 के अन्तर्गत छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति एवं महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन जॉच एवं फॉरवर्ड हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल खुलवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सत्र 2020—21 योजनान्तर्गत छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति एवं महाविद्यालय/नोडल महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन जॉच एवं फॉरवर्ड हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल निम्नानुसार खोला गये हैः—

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (12 वीं उत्तीर्ण) छात्राओं हेतु सभी वर्ग	
छात्राओं को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक— 16.03.2022 से 21.03.2022 तक
महाविद्यालयों द्वारा जॉच उपरान्त नोडल महाविद्यालय को आवेदन ऑनलाईन फॉरवर्ड हेतु	दिनांक— 16.03.2022 से 23.03.2022 तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जॉच उपरान्त संबंधित मुख्यालय को आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक— 16.03.2022 से 25.03.2022 तक

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	
छात्राओं को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांकः— 16.03.2022 से 21.03.2022 तक
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जॉच उपरान्त संबंधित मुख्यालय (टीएडी) को ऑनलाईन आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक— 16.03.2022 से 25.03.2022 तक

विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आक्षेप पूर्ति का यह अंतिम अवसर है, इसके उपरान्त उनके स्तर पर शेष रहे आवेदन निरस्त समझे जावेंगे।

संबंधित महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालय अपने स्तर से विद्यार्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर आक्षेप दूर करवाकर उन्हे ऑनलाइन फारवर्ड करवाने की कार्यवाही करें। यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार को कोई वाद दायर करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यलाय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (15) लेखा/आकाशि/का.भी.मे.छा.स्कू.यो./2021—22/1520-24 दिनांक 16.03.2022

:प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव ,निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
4. निजी सचिव ,निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर
5. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

D:\SCHOLARSHIP CELL. LETTER\F 23 (16) KALIBHAI.DOCX

Scanned with CamScanner